''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर 2001—अग्रहायण 8, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2001

क्रमांक डी/6250/2745/21-अ (निर्वाचन) छ.ग./01.—भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना संख्या 429/छ.ग./2001/(1), दिनांक 8 नवम्बर 2001 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख 8 नवम्बर, 2001, 17 कार्तिक, 1923 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/छ.ग./2001 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 23 जनवरी 2001 की अधिसूचना सं. 429/छ.ग./2001(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में :—

1. स्तम्भ 1 में मद सं. 35-पामगढ़ के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "तहसीलदार पामगढ़" प्रविष्टि, एवं

2. स्तम्भ 1 में मद सं. 38-मालखरौदा (अ. जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "तहसीलदार मालखरौदा" प्रविष्टि, प्रतिस्थापित की जाएगी.

आदेश से,
सही/-
(एल. एच. फारुकी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated 8th November, 2001, 17 Kartika, 1923 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/CG/2001 (1).—Om exercise of the powers conferred by sub secion (1) of section 13 C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 429/CG/2001 (1), dated the 3rd Januaray, 2001, namely :

In column 2 of the Table appended to the said notification :—

1. for the existing entry against item No. 35-Pamgarh in column No. 1, the entry "Tahsildar Pamgarh", and

2. for the existing enry against item No. 38-Malkharoda (SC) in column No. 1, the entry "Tahsildar Malkharoda shall be substituted.

By order,
Sd/-
(L. H. FARUQI)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.